"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2011—चैत्र 9, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/20/2011/वाक/पांच (21).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचनाओं को दिनांक 01-04-2011 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है :—

1. एफ-10/42/2006/वाक/पांच (39) दिनांक 13-04-2006
2. एफ-10/66/2006/वाक/पांच (59) दिनांक 13-06-2006

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10/20/2011/**वाक/पांच** (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2011/**वाक/पांच** (21), दिनांक 30-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 30th March 2011

NOTIFICATION

No. F-10/20/2011/CT/V(21).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby rescinds the following notification with effect from 01-04-2011 :—

1. F-10/42/2006/CT/V (39) dated 13-04-2006
2. F-10/66/2006/CT/V (59) dated 13-06-2006

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.